(7)

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
अधिसूचना

09 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 95/XVIII(3)/2016–20(01)/2014–चूँकि, समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि अर्जन किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि एक सौ एकड़ के बराबर या उससे अधिक है;

अतः, अब, श्री राज्यपाल महोदय, समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 45(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके समुचित सरकार, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करने और उसका पुनर्विलोकन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक सम्परीक्षा करने के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन समिति का निम्न प्रकार गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष,
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य,
3. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	सदस्य,
4. सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य,
5. सम्बन्धित नायब तहसीलदार	सदस्य।

आज्ञा से,

डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 95/XVIII(III)/2016-20(01)/2014**, dated February 09, 2016 for general information :

NOTIFICATION

February 09, 2016

No. 95/XVIII(III)/2016-20(01)/2014–WHEREAS the appropriate Government is satisfied that the land purposed to be acquired is equal to or more than one hundred acre;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 45 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to constitute following rehabilitation and resettlement committee for the social audit after the implementation of advice of Village Sabha in rural areas and Nagar Palika in the urban areas and monitoring and his review of the progress of implementation of the rehabilitation and resettlement scheme :

1. District Magistrate	Chairman,
2. Chief Development Officer	Member,
3. Concerning SDM	Member,
4. Concerning Block Development Officer	Member,
5. Concerning Naib Tehsildar	Member.

By Order,

D. S. GARBYAL,
Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 27–02–2016, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 राजस्व/146–14–03–2016–500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।